ऑन लाईन नं. GCMS 2024/192

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं० 56/2024

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री राकेश पुत्र श्री प्रेम कुमार — (विक्रेता व प्रोपराईटर)—
मै.महादेव इन्डस्ट्रीज, एफ 227 बी —उद्योग विहार, रीको, जिला श्रीगंगानगर।
2. मै. महोदव इंडस्ट्रीज, एफ 227 बी —उद्योग विहार, रीको, जिला श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51
निर्णय दिनांक: 30.05.2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन नमूना संग्रहण के दिवस कंमांक संख्या एफ 5(1) चिस्वा./ग्रुप–3/2024/10018 दिनांक 15.12.2023 के गजट में भाग 1 (ख) पर प्रकाशित हुआ है व वर्तमान में क्रमांक– प.5 (01) चिस्वा/ग्रुप 3/ई–5095/2024/दिनांक 28.06.2024 द्वारा अधिसूचित किया है व परिवादी का नमूना दिवस को पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुकत (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक आयुक्ता०/खासुऔनि/संस्था/2023/10077 दिनांक 26.12.2023 के अनुसार जिला श्री गंगानगर व वर्तमान में पत्र क्रमांक आयुक्ता/संस्था./2024/1211 दिनांक 08.07.2024 किया गया है एवं संसोधित आदेश क्रंमाक आयुक्ता०/खासुऔनि /संस्था/2024/1225 दिनांक 09.07.2024 है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियाँ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 09.05.2024 को समय 11:55 ए.एम बजे **मैसर्स – महादेव इन्डस्ट्रीज, एफ 227 बी उद्योग विहार, श्रीगंगानगर,** पर पहुँचे। मौके पर विक्रेता **श्री राकेश पुत्र श्री प्रेम कुमार (विक्रेता एंव प्रो०)** को अपना परिचय दे कर संस्थान पर रखे **वनस्पति** जो कि 15–15 किलाग्राम के 22 टीनो मे खुला रखा हुआ था के बारे मे जानकारी चाही इस पर स्वंय को **(विक्रेता एंव प्रो०)** बताया व संस्थान में टीनो के अन्दर रखे खुले **वनस्पति** को आमजन मे बेचान वास्ते बताया जिनमें मिलावट का शक होने पर विकेता से वनस्पति नमूना जाँच वास्ते लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म न. 5ए भरकर देते हुऐ वयक्त की मोके पर ही विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहन ने व आवेदक ने हस्ताक्षर किये। फार्म न 5ए न्याय निर्णयन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण किया और आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **वनस्पति** में से 1.6 किलोग्राम विकेता से खरीद कर लिया गया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त कयशुदा **वनस्पति** का नगद भुगतान 198 रूपये किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया। जिस पर विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर हैं और आवेदक के भी हस्ताक्षर हैं। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियों को तैयार कर खाद्यकारोवारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री राकेश पुत्र श्री प्रेम कुमार (विक्रेता एंव प्रो०)** एवं गवाहान ने भी पढ़कर

अति० जिला कलैक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

समझाकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोवारकर्ता एवं **श्री राकेश पुत्र श्री प्रेम कुमार (विक्रेता एंव प्रो०)** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **वनस्पति** को बराबर भागों में बांटकर 4 बोतलों में भरकर लिया। प्रत्येक बोतल के ढक्कन कसकर बंद किये और चारों बोतलों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक **के–2314** दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्री गंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं **के–2314** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोवरकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नगूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री राकेश पुत्र श्री प्रेम कुमार (विक्रेता एंव प्रो०)** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। **नमूना लेने के पश्चात् शेष माल को सीजर मेमो 02 को तैयार कर सीज किया गया। सीजर मेमो 2 व 3 संलग्न है।**

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्तक पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./614/Act/202/614 Dated 22.05.2024 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-2314 Substandard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **श्री राकेश पुत्र श्री प्रेम कुमार (विक्रेता प्रोपराइटर), मैसर्स महादेव इंडस्ट्रीज, एफ 227 बी–उद्योग विहार, रिको, जिला श्रीगंगानगर** द्वारा अमानक स्तर का **वनस्पति** विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 19.11.2024 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त के अधिवक्ता को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपने जवाब में कथन किया कि

1. यह कि परिवादी द्वारा परिवाद की मद संख्याः–1 में उन के द्वारा अंकित नियुक्ति की तिथि एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी, कार्यालय में उक्त खाघ सुरक्षा के पद पर कार्य करने के लिए अधिकृत होने की परिवादी को जानकारी नहीं हैं। आवश्यक साक्ष्य परिवादी से पेश करवाई जावें।

अति० जिला कलैक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

2. यह कि परिवाद की मद संख्याः–2 में अंकित कथन जानकारी के अभाव में स्वीकार है, आवश्यक साक्ष्य परिवादी से पेश करवाई जावें।

3. यह कि परिवाद की मद संख्या–3 में अंकित कथन असत्य होने की वजह से स्वीकार नहीं हैं। अप्रार्थीगण द्वारा ईकाई पर बेचान नहीं किया जाता। परिवादी द्वारा मौका पर अप्रार्थी को फार्म नम्बरः–5 ए भरकर नहीं दिया बल्कि परिवादी के स्टॉफ ने अप्रार्थी संख्याः–1 को डरा धमकाकर खाली फार्मो एवं कागजो पर हस्ताक्षर करवाए थे। परिवादी ने मद संख्याः–3 में अधूरे कथन अंकित किए हैं। परिवादी ने इस तथ्य का उल्लेख जानबूझकर नहीं किया कि अप्रार्थीगण की ओर से तथाकथित ईडेबल ऑयल किसी फर्म को सप्लाई या बेचान किया था या किया जाना था। इसी आधार पर परिवादी का परिवाद खारिज किये जाने योग्य हैं।

4. यह कि परिवाद की मद संख्या–4 में अंकित कथन असत्य होने की वजह से स्वीकार नहीं हैं। परिवादी द्वारा फर्म 5–ए ना तो मौका पर भरा गया तथा ना ही अप्रार्थी अथवा गवाहान को पढ़कर सुनाया गया। परिवादी के स्टॉफ द्वारा अप्रार्थी संख्याः–1 से खाली फार्म 5 ए एवं खाली कागजों पर डरा धमकाकर हस्ताक्षर करवाए गए हैं। परिवादी ने मौका पर खुद भी फॉर्म नम्बरः–5 ए पर हस्ताक्षर नहीं किए।

5. यह कि परिवाद की मद संख्याः–5 में अंकित कथन असत्य होने की वजह से स्वीकार नहीं हैं। परिवादी के स्टॉफ ने बिना किसी राशि भुगतान किए अप्रार्थी संख्याः–1 को डरा धमकाकर केश मीमो बनवाई थी और अप्रार्थी संख्याः–1 को कहा था कि परिवादी बहुत बड़े अधिकारी हैं, मगर उनके अनुसार काम ना किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अप्रार्थी संख्याः–1 की उपस्थिति में कैश मीमो पर मौका पर गवाहन के हस्ताक्षर नहीं किए। परिवादी द्वारा प्रस्तुत कैशमीमो अवैध हैं।

6. यह कि परिवाद की मद संख्याः–6 असत्य होने की वजह से स्वीकार नहीं हैं। परिवादी व उनके स्टॉफ मौका पर नमूने तैयार नहीं किए गए तथा ना ही लेबल चिपका कर हस्ताक्षर आदि करवाए गए तथा ना ही काई नमूना सील चपड़ी किया गया। परिवादी व उनके स्टॉफ ने सारी कार्यवाही ऑफिस में जाकर की गई है और अप्रार्थी के जिस खाली कागजों पर विभिन्न स्थानों पर हस्ताक्षर करवाए थे उनको कांट छांट कर उन का दुरुपयोग कर विधि विरुद्ध कार्यवाही को अंजाम दिया हैं।

7. यह कि परिवाद की मद संख्याः–7 असत्य होने की वजह से स्वीकार नहीं हैं। परिवादी व उनके स्टॉफ द्वारा मौका पर फर्द रिपोर्ट तैयार नहीं की गई तथा ना ही किसी ऐसी रिपोर्ट को अप्रार्थी अथवा गवाहन को पड़कर सुनाया गया।

8. यह कि परिवाद की मद संख्याः–8 में अंकित कथन जानकारी के अभाव में अस्वीकार हैं। आवश्यक साक्ष्य परिवी से पेश करवाई जावें।

9. यह कि परिवाद की मद संख्याः–9 में अंकित कथन असत्य होने की वजह से स्वीकार नहीं हैं। परिवादी द्वारा विधि के अनुसार नमूने एफ एस एल नहीं भिजवाए जिस कारण एफ एस एल की रिपोर्ट सही नहीं आई।

10. यह कि परिवाद की मद संख्याः–10 कानूनी हैं।

11. यह कि परिवाद की मद संख्याः–11 जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं हैं। आवश्यक साक्ष्य परिवादी से पेश करवाई जावें।

12. यह कि बाजार में अप्रार्थीगण से प्रतिस्पर्धा करने वाले उद्यमियों की बातों में आकर एवं उन उद्यमियों से सांठ–गांठ कर अप्रार्थीगण के विरुद्ध झूठा परिवाद, परिवादी द्वारा पेश किया गया है जो कि खारिज किए जाने योग्य हैं।

अतः जवाब परिवाद पेश कर निवेदन है कि परिवादी का परिवाद असत्य कथनों पर आधारित होने के कारण खारिज फरमाया जावें। श्रीमान् जी की अति कृपा होगी।

अति० जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **वनस्पति** का सैम्पल **K-2314** स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक– L.S./614/Act/202/614 Dated 22.05.2024 **Substandard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को ही दोहराते हुए कथन किया कि परिवादी का परिवाद असत्य कथनों पर आधारित होने के कारण खारिज फरमाया जावें। श्रीमान् जी की अति कृपा होगी।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम के तहत सही प्रकिया अपनाते हुए नियमानुसार नमूने का संग्रहण किया गया है। इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Vanaspati "** bearing Code No and Sr. No. **K-2314**, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is **Sub-Standard Food as** it does not conform to the prescribed standard of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011. की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त **श्री राकेश पुत्र श्री प्रेम कुमार (विक्रेता प्रोपराइटर), मैसर्स महादेव इंडस्ट्रीज, एफ 227 बी–उद्योग विहार, रिको, जिला श्रीगंगानगर** को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 के अन्तर्गत अभियुक्त **श्री राकेश पुत्र श्री प्रेम कुमार (विक्रेता प्रोपराइटर), मैसर्स महादेव इंडस्ट्रीज, एफ 227 बी–उद्योग विहार, रिको, जिला श्रीगंगानगर** को **राशि रूपये 50,000–00 (अखरे रूपये पचास हजार मात्र)** के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में सीज 328.4 किलोग्राम वनस्पति का विधिक प्रावधानानुसार व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत चेतावनी देते हुए नियमानुसार निस्तारण करें।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
खाद्य निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर।